समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

# –: आदेश :–

09-07-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–209/2013 में आवेदक **श्री अंजनी कुमार**, पिता–स्व0 भोला सिंह, सा0–A/69, ग्रीन हाउस, मिश्र मंडल कॉलोनी, पो0–अनिसाबाद, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर सुनवाई की तिथि 11.04.2013 निर्धारित की गयी। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण उक्त तिथि को सुनवाई नहीं की गयी एवं आवेदक के दिनांक–11.03.2013 के आवेदन के आलोक में पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की अगली तिथि 05.07.2013 निर्धारित की गयी। अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि की सुनवाई स्थगित करते हुए सुनवाई की तिथि 09.07.2013 निर्धारित की गयी।

आवेदक को सुनवाई की तिथि की सूचना तामिला करायी गयी, लेकिन आवेदक उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा दिनांक–02.07.2013 की तिथि का लिखित बयान अधोहस्ताक्षरी को दिनांक–03.07.2013 को उपलब्ध कराया गया, जिसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त उनके द्वारा नए सिरे से दाखिल उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–16.01.2013 को पारित आदेश के आलोक में निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पट्ना द्वारा दिनांक–16.01.2013 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् है :–

" In view of the aforesaid facts and circumstances the orders passed by the authorities cannot be faulted with. However, the petitioner is granted liberty to make a fresh application giving all the relevant details regarding his permanent, present and correct address as well as the birth place before licensing authority which shall consider the claim afresh in accordance with law within the statutory time frame after production of a certified copy of the order by the petitioner along with application form."

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में आवेदक के द्वारा दिनांक–01.03.2013 को पारित आदेश की छाया प्रति के साथ नया शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र पर पुलिस प्रतिवेदन की माँग की गयी, जो वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के कार्यालय पत्रांक–883/गो0, दिनांक–09.06.2013 से प्राप्त हुआ।

अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आवेदन, उनके लिखित बयान एवं पुलिस प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया। आवेदक के द्वारा अपने लिखित बयान में अंकित किया गया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उनके हाथ में लगी गोली को पी0एम0सी0एच0, पटना में ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया था। इस संबंध में गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उक्त आलोक में उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा आवेदक के

शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गई है। आवेदक के जान–माल को लेकर आसन्न खतरा का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के साथ पूर्व में आपराधिक घटना घटी है, जिसके लिए गर्दनीबाग थाना कांड सं0–63/03, दिनांक–27.01.2003 दर्ज किया गया था। साथ ही आवेदक का नाम और पता सही होने का तथ्य भी प्रतिवेदित किया गया है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को पूर्व से एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति निर्गत है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0–173/2005 (थाना–गर्दनीबाग) है। थानाध्यक्ष के द्वारा यद्यपि आवेदक को उनके आवेदित शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन एक शस्त्र के रहते हुए अतिरिक्त शस्त्र की आवश्यकता के संबंध में उनके द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। आवेदक के द्वारा भी यद्यपि अपने नए शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र में उन्हें पूर्व से एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत होने का उल्लेख किया गया है, लेकिन अपने दिनांक–02.07.2013 के लिखित बयान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ना ही उनके द्वारा एक शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र के बावजूद अतिरिक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है।

सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक श्री अंजनी कुमार को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी थी, जिसपर आवेदक के द्वारा एन0पी0बोर रायफल धारित है लेकिन सुरक्षात्मक कारणों से आवेदक को अतिरिक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक द्वारा समर्पित किये गये तथ्यों–के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अंजनी कुमार, पिता–स्व0 भोला सिंह, सा0–A/69, ग्रीन हाउस, मिश्र मंडल कॉलोनी, पो0–अनिसाबाद, थाना– फुलवारीशरीफ, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0 बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।